

२६/६/२५

पत्ताकमी अधिवक्ता वारी मजदूरी द्वारा
 अधिसूचना पत्र ललबी का पेश करने पर तत्पश्चात्
 की गई। उपर्युक्त शो-को-रहे। अधिवक्ता वारी
 द्वारा अधिसूचना पत्र अन्तर्गत अधिसूचना २३ दिनांक २
 अप्रैल १९७५ द्वारा १९७५-७६ का पेश कर प्रकरण
 में कोई कार्यवाही नहीं जाहज़र प्रकरण को
 वकील स्तर पर बिना किने जाने का विवेक विना।
 वारी की पेशनाम अन्तर्गत अधिवक्ता द्वारा की गई।
 अतः वारी द्वारा मजदूरी अधिवक्ता वारी द्वारा प्रकरण
 में कोई कार्यवाही नहीं जाहज़र है कोई कार्यवाही
 कोष नहीं रहती है। अतः पत्ताकमी को वकील स्तर
 पर प्रेष किया जाता है। पत्ताकमी में सल सुधार
 होकर प्रकरण को मजदूरी।

निर्णय सुबाबा मजदूरी।

सुबाबा मजदूरी
 १९
 २६/६/२५

